प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इक्कीस '

[24/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 6940]

परिशिष्ट ''एक''

विषय :–सहायिका पद की नियुक्ति की अर्हता ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 6940) श्री इन्दर सिंह परमार

मध्यप्रदेश शासन,महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ–3–2/06/50–2/भोपाल दिनांक 10.7.07 के अनुसार ऑगनवाडी सहायिका की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार अर्हताएं निर्धारित की गई है।

1. आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिये । आंगनवाडी सहायिका के लिये जिस कैलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना हो, उस कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए ।

2. आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये । ग्राम /नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी प्रमाण के लिये राशन कार्ड संबधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की मतदाता सूची /बी.पी.एल. सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए । उक्त दोनो बिन्दू भी उपलब्ध नही है तो एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्थायी निवास हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

3. ऑगनवाडी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

4. चयनित की जाने वाली ऑगनवाडी सहायिका को न तो स्वयं सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अथवा पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनित सदस्य होना चाहिये और ना ही चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वालो क़ी सगे संबंधी होना चाहिये । सगे संबंधी से अभिप्राय, माता, पिता, भाई,बहिन, पति,पत्नि , पुत्र–पुत्री एवं पुत्र–वधु ।

(आर.पी. सिंह)
संयुक्त संचालक
एकीकृत बाल विकास सेवा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग